



अनुषंगी लाभों का आलोचनात्मक अध्ययन
(काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सन्दर्भ में)

अंकित कुमार

शोध-छात्र, वाणिज्य संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सारांशिका

कर्मचारी संगठन के सभी संसाधनों में सर्वाधिक सक्रिय एवं संवेदनशील संसाधन होता है जो प्रत्येक संगठन के संचालन, विस्तार एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अनुषंगी लाभ कर्मचारियों को आकर्षित, अभिप्रेरित, नियोजित एवं नियंत्रित करने तथा संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी होता है। अनुषंगी लाभ कर्मचारियों की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में भी सहायक होता है। प्रस्तुत लेख प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है जिसके अन्तर्गत काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को प्रदत्त अनुषंगी लाभ के प्रति उनके प्रतिवचनों का विश्लेषण तथा कर्मचारियों के प्रतिवचनों का उनके जनांकिकी चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

कुंजी शब्द – अनुषंगी लाभ, संगठन, कर्मचारी, अभिप्रेरणा, विश्वविद्यालय।

परिचय

अनुषंगी लाभ कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं सेवाओं के लिए उनकी वेतन एवं मजदूरी के अतिरिक्त मौद्रिक, अमौद्रिक, वैधानिक एवं ऐच्छिक रूप में प्रदान किया जाता है। अनुषंगी लाभ कर्मचारियों के कुल क्षतिपूरण का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसको कर्मचारी सेवाएँ, सहायक क्षतिपूरण, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरण आदि नामों से जाना जाता है। इसका भुगतान कर्मचारियों को संगठन में उनकी सदस्यता के आधार किया जाता है जिसका उनकी कार्यों एवं सेवाओं से प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अनुषंगी लाभ सुविधाओं का एक विस्तृत समूह है जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, प्रसूति लाभ, ग्रेच्युटी, वृद्धावस्था पेंशन, चिकित्सा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, शैक्षणिक सुविधा, यातायात सुविधा, आवास की सुविधा, उपभोक्ता सहकारी संगठन, कल्याण एवं मनोरंजन की सुविधा आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को शामिल किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

- विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के प्रति गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रतिवचनों का विश्लेषण करना।
- अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रतिवचनों का उनके जनांकिकी चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पना

H₀: विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके जनांकिकी चरों (लिंग, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं सेवा-अवधि) का कोई सार्थक प्रभाव नहीं है।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत लेख विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभों के सन्दर्भ में कर्मचारियों की संतुष्टि तथा कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके जनांकिकी चरों के प्रभावों के विषय में विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कर्मचारियों को उपयोगी सूचना प्रदान करेगा।

शोध-प्रविधि

यह लेख वर्णनात्मक प्रकृति का है जो विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों तक सीमित है। लेख में प्रतिदर्श का आकार 400 रखा गया है जिसका संग्रह विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से प्रश्नावली विधि के माध्यम से किया गया है। अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने लिए आंकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत, माध्य, टी-परीक्षण एवं प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ – विश्लेषण एवं निर्वचन

प्रस्तुत अध्ययन को निम्नांकित दो भागों में विभाजित कर विश्लेषित किया गया है :

- (1) अनुषंगी लाभ के सन्दर्भ में कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवचनों का विश्लेषण तथा
- (2) अनुषंगी लाभ के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके जनांकिकी चरों के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन।

1. अनुषंगी लाभ के सन्दर्भ में कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवचनों का विश्लेषण

प्रस्तुत लेख अन्तर्गत विश्वविद्यालय में प्रदत्त 14 प्रमुख अनुषंगी लाभों का चयन किया गया है। उक्त चरों के सम्बन्ध में कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिवचनों के विश्लेषण को तालिका-1 में दर्शाया गया है :

तालिका-1
अनुषंगी लाभ के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि

चर	संतुष्टि स्तर			योग(%)
	असंतुष्ट (%)	तटस्थ (%)	संतुष्ट (%)	
1. चिकित्सा सुविधा	106 (26.5)	52 (13.0)	242 (60.5)	400 (100)
2. आवास की सुविधा	101 (25.3)	72 (18.0)	227 (56.7)	400 (100)
3. शैक्षणिक सुविधा	84 (21.0)	72 (18.0)	244 (61.0)	400 (100)
4. मातृत्व लाभ	94 (23.5)	88 (22.0)	218 (54.5)	400 (100)
5. पितृत्व लाभ	94 (23.5)	80 (20.0)	226 (56.5)	400 (100)
6. अवकाश की सुविधा	52 (13.0)	60 (15.0)	288 (72.0)	400 (100)
7. छुट्टी यात्रा भत्ता	114 (28.5)	54 (13.5)	232 (58.0)	400 (100)
8. विश्वविद्यालय क्लब	123 (30.7)	56 (14.0)	221 (55.3)	400 (100)
9. पेयजल एवं शौचालय	36 (09.0)	50 (12.5)	314 (78.5)	400 (100)
10. कैंटीन की सुविधा	108 (27.0)	76 (19.0)	216 (54.0)	400 (100)

11. बैंकिंग एवं डाकघर	56 (14.0)	58 (14.5)	286 (71.5)	400 (100)
12. ग्रेच्युटी लाभ	156 (39.0)	56 (14.0)	188 (47.0)	400 (100)
13. भविष्य निधि	166 (41.5)	48 (12.0)	186 (46.5)	400 (100)
14. कर्मचारी पेंशन योजना	176 (44.0)	58 (14.5)	166 (41.5)	400 (100)

(स्रोत: प्राथमिक आंकड़े)

कथन-1 विश्वविद्यालय में प्रदत्त चिकित्सा सुविधा के सम्बन्ध में यादृच्छिक विधि से चयनित कर्मचारियों के प्रतिवचनों को व्यक्त करता है कि चिकित्सा सुविधा से 60.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं तथा 26.5 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 13 प्रतिशत कर्मचारियों ने इस विषय में अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है। कथन विश्वविद्यालय में संतोषजनक चिकित्सा सुविधा को दर्शाता है।

कथन-2 आवास की सुविधा से सम्बन्धित है जो यह प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय में आवास सुविधा से 25.3 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं, 18 प्रतिशत कर्मचारी तटस्थ हैं तथा 56.7 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं। ये आंकड़े विश्वविद्यालय में पर्याप्त आवास सुविधा की कमी को इंगित करते हैं।

कथन-3 शैक्षणिक सुविधा के प्रति अध्ययन हेतु चयनित कर्मचारियों के संतुष्टि का उल्लेख करता है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुविधा से 61 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 21 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 18 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना विचार प्रकट नहीं किया है। कथन विश्वविद्यालय में संतोषजनक शैक्षणिक सुविधा को प्रदर्शित करता है।

कथन-4 प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय में मातृत्व लाभ से 54.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 23.5 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 22 प्रतिशत कर्मचारियों का इस विषय पर कोई मत नहीं है। उक्त आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में मातृत्व लाभ से कार्यरत महिला कर्मचारियों की संतुष्टि संतोषजनक नहीं है।

कथन-5 पितृत्व लाभ के विषय में पुरुष कर्मचारियों के विचारों को प्रकट करता है कि विश्वविद्यालय में पितृत्व लाभ से 23.5 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं, 20 प्रतिशत कर्मचारी

तटस्थ हैं तथा 56.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में पितृत्व लाभ से पुरुष कर्मचारी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं।

कथन-6 विश्वविद्यालय में प्रदत्त अवकाश की सुविधा के विषय में है जो प्रदर्शित करता है कि अध्ययन के लिए चयनित कर्मचारियों में से 72 प्रतिशत कर्मचारी अवकाश की सुविधा से संतुष्ट हैं, 13 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 15 प्रतिशत कर्मचारियों ने इस पर अपना उत्तर नहीं दिया है। कथन विश्वविद्यालय में बेहतर अवकाश की सुविधा को इंगित करता है।

कथन-7 विश्वविद्यालय में छुट्टी यात्रा भत्ता से कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संतुष्टि का उल्लेख करता है कि छुट्टी यात्रा भत्ता से 58 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 28.5 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं तथा 13.5 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना विचार प्रकट नहीं किया है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में छुट्टी यात्रा भत्ता या इसकी प्रक्रिया से कर्मचारी पूर्णतः सहमत नहीं हैं।

कथन-8 विश्वविद्यालय क्लब की सुविधा से सम्बन्धित है जो यह प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय क्लब में प्रदत्त सुविधाओं से केवल 55.3 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 30.7 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं तथा 14 प्रतिशत कर्मचारी उक्त विषय में तटस्थ हैं। कथन विश्वविद्यालय में उक्त सुविधाओं की कमियों की ओर संकेत करता है।

कथन-9 पेयजल एवं शौचालय के सम्बन्ध में चयनित कर्मचारियों के प्रतिवचनों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि विश्वविद्यालय में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा से 78.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 09 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 12.5 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। कथन विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लिए समुचित पेयजल एवं शौचालय की सुविधाओं को इंगित करता है।

कथन-10 जलपानगृह की सुविधाओं के विषय में है जो यह प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय में जलपानगृह की सुविधा से 54 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 19 प्रतिशत कर्मचारी तटस्थ हैं तथा 27 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उक्त आंकड़े विश्वविद्यालय में जलपानगृह की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकताओं को परिलक्षित करते हैं।

कथन-11 बैंकिंग एवं डाकघर के सम्बन्ध में अध्ययन के लिए चयनित गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संतुष्टि को व्यक्त करता है कि इस सुविधा से विश्वविद्यालय में 71.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 14 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं जबकि 14.5 प्रतिशत कर्मचारियों ने उक्त विषय में अपना उत्तर नहीं दिया है। कथन विश्वविद्यालय में उच्च कोटि की बैंकिंग एवं डाकघर की सुविधाओं को इंगित करता है।

कथन-12 सेवानिवृत्ति लाभ ग्रेच्युटी के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि प्रकट करता है कि विश्वविद्यालय में ग्रेच्युटी से 47 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 14 प्रतिशत कर्मचारी तटस्थ हैं

तथा 39 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं। कथन का सार यह है कि वर्तमान ग्रेच्युटी व्यवस्था से अधिकांश कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।

कथन-13 भविष्य निधि से सम्बन्धित है जो प्रदर्शित करता है कि विश्वविद्यालय में भविष्य निधि से 46.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 41.5 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं तथा 12 प्रतिशत कर्मचारियों का कोई मत नहीं है। कथन से स्पष्ट है कि भविष्य निधि के विषय में विश्वविद्यालय कर्मचारियों के विचारों में बिखराव है।

कथन-14 कर्मचारी पेंशन योजना के विषय में चयनित गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है कि उक्त सुविधा से विश्वविद्यालय में 41.5 प्रतिशत कर्मचारी संतुष्ट हैं, 14.5 प्रतिशत कर्मचारियों ने अपना उत्तर नहीं दिया है जबकि 44 प्रतिशत कर्मचारी असंतुष्ट हैं। कथन इंगित करता है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारी वर्तमान न्यू पेंशन योजना से संतुष्ट नहीं हैं।

2. अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनके जनांकिकी चरों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

प्रस्तुत शोध-पत्र में अनुषंगी लाभ के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके जनांकिकी चरों (लिंग, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं सेवा-अवधि) के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जिन जनांकिकी चरों में दो समूह हैं उनके विश्लेषण हेतु स्वतंत्र टी-परीक्षण तथा दो से अधिक समूह के विश्लेषण के लिए प्रसरण विश्लेषण का प्रयोग किया गया है :

- विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनके लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

तालिका-2

कर्मचारी का लिंग एवं अनुषंगी लाभ के प्रति संतुष्टि

लिंग	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	टी-मूल्य	df	सार्थकता मूल्य	परिणाम
पुरुष	320	2.32	0.53	0.03	-0.32	398	0.75	H ₀ : स्वीकृत
महिला	80	2.34	0.42	0.05				

(स्रोत: प्राथमिक आंकड़े)

तालिका- 2 में टी-परीक्षण के माध्यम से अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनके लिंग के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। अध्ययन का परिणाम प्रदर्शित करता है कि सार्थकता मूल्य 0.75 है जो कि 0.05 से अधिक है। अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को स्वीकृत किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि

विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के प्रति महिला एवं पुरुष कर्मचारियों की संतुष्टि में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

- विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनके आयु के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

तालिका-3

कर्मचारी की आयु एवं अनुषंगी लाभ के प्रति संतुष्टि

आयु	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	एफ-मूल्य	df	सार्थकता मूल्य	परिणाम
30 तक	58	2.26	0.48	0.06	18.14	3, 396	0.00	H ₀ : अस्वीकृत
31-40	160	2.14	0.54	0.04				
41-50	92	2.39	0.45	0.05				
>50	90	2.60	0.40	0.04				
योग	400	2.32	0.51	0.03				

(स्रोत: प्राथमिक आंकड़े)

तालिका-3 विश्वविद्यालय में अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके आयु के प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय में अनुषंगी लाभ के प्रति विभिन्न आयु वर्ग के कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर में महत्वपूर्ण अन्तर है, एफ-मूल्य (3, 396) = 18.14, सार्थकता मूल्य = 0.00। विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ से 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कर्मचारी सर्वाधिक संतुष्ट हैं। तत्पश्चात, 41-50 एवं 30 वर्ष तक के कर्मचारियों का स्थान है, जबकि अनुषंगी लाभ से न्यूनतम संतुष्ट कर्मचारी 31-40 आयु वर्ग में पाये गये हैं। चूंकि सार्थकता मूल्य 0.05 से कम है, अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

- विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

तालिका-4

कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुषंगी लाभ के प्रति संतुष्टि

शिक्षा	संख्या	माध्य	प्रमाप विचलन	प्रमाप विभ्रम	एफ-मूल्य	df	सार्थकता मूल्य	परिणाम
हाईस्कूल	30	2.28	0.54	0.10	5.19	4, 395	0.00	H ₀ : अस्वीकृत
इण्टरमीडिएट	30	2.55	0.35	0.04				
स्नातक	120	2.35	0.51	0.05				
स्नातकोत्तर	154	2.23	0.53	0.04				
> स्नातकोत्तर	66	2.19	0.56	0.10				
योग	400	2.32	0.51	0.03				

(स्रोत: प्राथमिक आंकड़े)

तालिका-4 में अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया गया। तुलनात्मक अध्ययन में अनुषंगी लाभों के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया, एफ-मूल्य (4, 395) = 5.19, सार्थकता मूल्य = 0.00। स्नातकोत्तर एवं इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी सर्वाधिक असंतुष्ट पाये गये जबकि हाईस्कूल एवं स्नातक शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की संतुष्टि लगभग समान है। इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मचारियों की संतुष्टि उक्त विषय में सर्वाधिक है। चूंकि सार्थकता मूल्य 0.05 से कम है, अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

- विश्वविद्यालय में प्रदत्त अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि का उनकी सेवा-अवधि के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन

तालिका-5

कर्मचारी की सेवा-अवधि एवं अनुषंगी लाभ के प्रति संतुष्टि

सेवा-अवधि	संख्या	माध्य	प्रमाप	प्रमाप	एफ-मूल्य	df	सार्थकता	परिणाम
-----------	--------	-------	--------	--------	----------	----	----------	--------

			विचलन	विभ्रम			मूल्य	
0-5 वर्ष	36	2.10	0.53	0.09	12.51	3,	0.00	H ₀ : अस्वीकृत
6-10 वर्ष	96	2.26	0.43	0.04				
11-15 वर्ष	110	2.18	0.53	0.05				
> 15 वर्ष	158	2.50	0.48	0.04				
योग	400	2.32	0.51	0.03				

(स्रोत: प्राथमिक आंकड़े)

अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनकी सेवा-अवधि के प्रभावों को तालिका-5 में प्रदर्शित किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि सेवा-अवधि के आधार पर अनुषंगी लाभ के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि में महत्वपूर्ण अन्तर है, एफ-मूल्य (3, 396) = 12.51, सार्थकता मूल्य = 0.00। इस सम्बन्ध में 0-5 वर्ष सेवा-अवधि के कर्मचारियों की संतुष्टि न्यूनतम है, 6-10 एवं 11-15 वर्ष सेवा-अवधि के कर्मचारी लगभग समान रूप से संतुष्ट हैं, जबकि विश्वविद्यालय में जिन कर्मचारियों की सेवा-अवधि 15 वर्ष से अधिक है उनकी संतुष्टि सर्वाधिक है। चूंकि सार्थकता मूल्य 0.05 से कम है, अतः 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर शून्य परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है।

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर परिकल्पना परीक्षण

जनांकिकी चर	घटक	सार्थकता मूल्य	परिणाम
कर्मचारी का लिंग	अनुषंगी लाभ	0.75 > 0.05	H ₀ : स्वीकृत
कर्मचारी की आयु		0.00 < 0.05	H ₀ : अस्वीकृत
कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता		0.00 < 0.05	H ₀ : अस्वीकृत
कर्मचारी की सेवा-अवधि		0.00 < 0.05	H ₀ : अस्वीकृत

निष्कर्ष

अनुषंगी लाभ के सन्दर्भ में चयनित कर्मचारियों से प्राप्त आंकड़े विश्वविद्यालय में चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधा की संतोषजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं जबकि अवकाश, पेयजल एवं शौचालय तथा बैंकिंग एवं डाकघर की सुविधाओं के प्रति कर्मचारियों की संतुष्टि विश्वविद्यालय में उक्त सुविधाओं की बेहतर तस्वीर को दर्शाते हैं। प्रसूति लाभ, पितृत्व लाभ, छुट्टी यात्रा भत्ता, विश्वविद्यालय क्लब, जलपानगृह एवं सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि स्तर विश्वविद्यालय में प्रदत्त उक्त सुविधाओं में कमियों को इंगित करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन प्रदर्शित करता है कि अनुषंगी लाभ के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संतुष्टि पर उनके लिंग का कोई सार्थक प्रभाव नहीं है जबकि कर्मचारियों की आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा सेवा अवधि के आधार पर उनकी संतुष्टि में महत्वपूर्ण अन्तर पाया गया है।

सुझाव

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण एवं निर्वचन के आधार पर प्रमुख सुझाव निम्नांकित हैं :

- विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जिसमें सभी को अपनी शिक्षा तथा ज्ञान में वृद्धि करने हेतु पर्याप्त एवं समान अवसर मिलने चाहिए। शैक्षणिक कर्मचारियों की भांति गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भी सवेतन शैक्षणिक अवकाश प्रदान किया जाना आवश्यक है।
- विश्वविद्यालय योग्य एवं अनुभवी चिकित्सकों के माध्यम से विभिन्न कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी स्वास्थ्य संकुल में चिकित्सकीय परामर्श के साथ-साथ निशुल्क दवायें भी मुहैया करायी जाती है लेकिन संकुल में अक्सर चिकित्सकीय परीक्षण एवं आवश्यक दवाओं की अनुपलब्धता से दो-चार होना पड़ता है। यद्यपि बाहर से क्रय की गयी दवाओं के खर्चों का पुनर्भरण विश्वविद्यालय द्वारा कर दिया जाता है लेकिन वह एक समयसाध्य प्रक्रिया है। इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि नियमित रूप से कर्मचारियों को परामर्श एवं दवाओं की सुविधा मिलती रहे।
- आवास सुविधा अनुषंगी लाभ का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्ययन में पाया गया है कि विश्वविद्यालय में मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध न होना कर्मचारियों की चिन्ता का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके साथ ही जो आवास बने हुए हैं उनमें से अधिकांश काफी पुराने हैं जिनका उचित रूप से अनुरक्षण होना आवश्यक है।
- अनुषंगी लाभों में अवकाश यात्रा भत्ता (एल. टी. सी.) का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें कर्मचारी को गंतव्य स्थान तक आने-जाने का पदानुसार श्रेणी का किराया दिया जाता है। सामान्यतया यह भत्ता यात्रा करने के पश्चात दिया जाता है जिसके कारण कई कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो कर्मचारी इस सुविधा का लाभ लेते हैं, उन्हें पुनर्भरण की लम्बी एवं समयसाध्य प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः

विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सहज बनाना चाहिए ताकि प्रत्येक इच्छुक कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सके।

- विश्वविद्यालय में जलपानगृह द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के संदर्भ में अधिकांश कर्मचारियों का मानना है कि यद्यपि विभिन्न खाद्य पदार्थों की कीमत उचित है लेकिन उनकी गुणवत्ता पर अक्सर प्रश्न किये जाते हैं। अतएव विश्वविद्यालय प्रशासन को जलपानगृह की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों की पूर्ति एवं गुणवत्ता इत्यादि पर ध्यान देने एवं इसमें आवश्यक सुधार की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

- डॉ. कंचन भाटिया (2012), 'कम्पनसेशन मैनेजमेण्ट' हिमालया पब्लिकेशन, दिल्ली।
- ए. एम. शर्मा (2012), 'अन्डरस्टैंडिंग वेज एण्ड कम्पनसेशन सिस्टम' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- बी. डी. सिंह (2017), 'कम्पनसेशन एण्ड रिवार्ड मैनेजमेण्ट' एक्सेल बुक्स, तीसरा संस्करण, नई दिल्ली।
- डॉ. जे. एस. माथुर (2001), 'सेविवर्गीय प्रबन्ध एवं औद्योगिक सम्बन्ध' विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
- डॉ. चतुर्भुज मामोरिया, डॉ. कामेश्वर पंडित एवं प्रीति रैना, 'मानव संसाधन प्रबन्ध' साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
- विश्वविद्यालय में कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ें।